आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई
2	3

न्यायालय, उपायुक्त–सह– जिला दण्डाधिकारी, साहेबगंज

विविध वाद – 4/21 एवं अधिहरण वाद सं0– 22/22–23 मे0 जय बजरंग वली स्टोन प्रो0– प्रकाश चन्द्र यादव बनाम (राज्य) जिला खनन पदाधिकारी

–: आदेश :–

07/10/22 अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में दिनांक 27.08.21 को आवेदक मे0 जय बजरंग वली स्टोन प्रो0– प्रकाश चन्द्र यादव के अधिवक्ता द्वारा यह मामला प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक कास कथन है कि मौजा– गदवा अंचल तालझारी में उनके क्रशर स्थल भंडारित खनिज (पत्थर) के परिवहन चालान की मांग जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज से किया गया है। जिसे जिला खनन पदाधिकारी के पत्रांक 876/एम0 दिनांक 25.08.21 द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है। उक्त आदेश के विरुद्ध यह मामला न्यायालय में आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 07.09.21 को अपना पक्ष रखा गया। तदनुसार जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज को स्थल जाँच कर प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु आदेश ज्ञापांक 198/डी0बी0, साहेबगंज दिनांक 08.09.2021 द्वारा निदेर्शित किया गया है।

जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज के पत्रांक 929/एम0 दिनांक 13.09.21 के द्वारा प्रतिवेदित है कि आवेदक के पत्रांक शून्य दिनांक 24.08.21 द्वारा साहेबगंज जिलान्तर्गत मौजा– गदवा के JIMMS Id 0620420031 एवं JIMMS Id 0620548911 में दाखिल मासिक विवरणी के बाबत परिवहन चालान की मांग की गई, लेकिन आवेदक द्वारा अवैध खनन विस्फोट का उपयोग एवं अनियमितता बरतने के कारण तालझारी थाना में कांड संख्या 80/2021 दर्ज कराया गया। इन कांड में उल्लेखित क्रशर मशीन एवं भंडारित खनिज को सन्निहित किया गया है। वर्त्तमान में माननीय् न्यायालय में मामला लंबित है। अतः भंडारण स्थल से खनिज प्रेषण हेतु परिवहन चालान निर्गत नहीं किया गया है।

दिनांक 21.09.2021 को पुनः आवेदक के द्वारा Para Wise Reply दाखिल कर उल्लेखित किया गया है कि निर्गत CTO के अनुरुप एवं that no stone chips was produced by unauthorized ROM. If any measurement of mining lease area was made by Circle Officer, Taljhari, no intimation was given to the petitioner about such measurement allegedly done by Circle Officer, Taljhari. The petitioner had done mining work in 25 Acres area of Jai Bajrang Walee Stone Works at Gudwa mines and asked for permit for transport and carriage of such minerals from mining lease area to licensed area which was granted by the respondent after due verification and satisfaction as per Section 9 & 10 of Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation & Storage) Rules, 2017. Thus, neither any transport challan, the then issued, was ever misused nor it will be misused in future by the petitioner. It is that no stone chips was produced by unauthorised

ROM. If any measurement of mining lease area was made by Circle Officer, Taljhari, no intimation was given to the petitioner about such measurement allegedly done by Circle Officer, Taljhari. The petitioner had done mining work in 25 Acres area of Jai Bajrang Walee Stone Works at Gudwa mines and asked for permit for transport and carriage of such minerals from mining lease area to licensed area which was granted by the respondent after due verification and satisfaction as per Section 9 & 10 of Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation & Storage) Rules, 2017. Thus, neither any transport challan, the then issued, was ever misused nor it will be misused in future by the petitioner. It is pertinent to mention here that petitioner had already requested the respondent before one year to make survey and measurement of mining lease area

आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

after deposit of Rs. 1000/- as required fee but respondent never surveyed or measured the mining lease area even at the repeated reminder of petitioner and allegedly got it measured by Circle Officer, Taljhari in ex-parte manner in order to satisfy his own grudge . That, the respondent has alleged in its comment that it had seized the processed product of the minerals and finished goods which was stocked at licensed area after due processing of the minerals. It is significant to mention here that petitioner had no knowledge about any kind of processed product of minerals and finished goods by the respondent and seizure of this fact has come for the first time in the knowledge of petitioner when the respondent filled its comment before this learned court. The respondent also raised the fact for the first time in its comment that respondent had sealed the crusher units/plants. The petitioner was neither noticed nor heard before such seizure of processed goods and sealing of crusher units/plants and hence petitioner could not plead these matters in original petition filled before the court. Therefore, the petitioner begs leave to counter the aforesaid illegal acts of the respondent. It has already beer urged in foregoing paragraphs of this reply petition that respondent had no authority to seize the processed product and finished goods stocked at the licensed area of petitioner in view of the verdict referred-above and accordingly, if any seizure of processed product was made by the respondent, then it was illegal. Since the alleged seizure of processed product and finished goods of petitioner was illegal, Your Honour may kindly be pleased to release the same to emancipate the petitioner from this undesirable calamity. That, no mineral is present and stocked at the licensed area of the petitioner except processed product of mineral and finished goods. That, allegedly the respondent had seized the processed product of minerals and finished goods of petitioner and he also had sealed the crusher plant of the petitioner. Allegedly the respondent sealed the crusher plant on the ground of illegal mining by the petitioner which has already. been discussed to be illegal in the foregoing paragraphs of this reply petition particularly in view of Novel Granites Limited case (supra) which deserves to be undone by Your Honour's court. Therefore, it is most humbly prayed that Your Honour may kindly be pleased to withdraw and undo the action of sealing the crusher plants and order to put the crusher units/plants in operation along with other reliefs initially prayed for in original petition.

आवेदक के उपर्यूक्त वर्णित विस्तृत जबाब के संबंध जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा दिनांक 04.10.21 को कंडिकावार जबाब न्यायालय में दायर किया गया। इसमें प्रतिवेदित है कि :–

सदस्य सचिव, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, झारखंड, रांची के ज्ञापांक B–1660 दिनांक 04.10.21 के द्वारा सहमति पत्र (CTO) के वैधानिक शर्त्तो के अनुपालन नहीं करने के कारण धारित उक्त स्थल का सहमति पत्र (CTO) को Revoke किया गया।

समय–समय पर इनके द्वारा अनियमितता बरते जाने के कारण कार्यालय से इन्हे कारणपृच्छा नोटिस निर्गत की जाती है तथा कार्यालय ज्ञापांक 53/एम0 दिनांक 10.01.21, ज्ञापांक 1358/एम0 दिनांक 07.09.21 द्वारा मांग पत्र भी निर्गत किया गया है।

पट्टाधारी के विरुद्ध निरीक्षण कर समय–समय पर कार्यालय से नोटिस एवं मांग पत्र दिया जाता रहा है, जो कार्यालय ज्ञापांक 751/एम0 दिनांक 19.06.19 एवं ज्ञापांक 835/एम0 दिनांक 29.06.19

पट्टा क्षेत्रों का नापी अंचल अधिकारी, तालझारी के द्वारा किया गया। इस सदर्भ में याचिकाकर्त्ता या उनके प्रतिनिधि को उपस्थित हेतु संसूचित किया गया था एवं जाँचोरापन्त पाया गया कि निर्धारित पट्टा क्षेत्र खनन कार्य नहीं किया गया है। आवेदक द्वारा जानबुझ कर गुमराह करते हुए कार्यालय में

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई
2	3

दाखिल मासिक विवरणी के आधार पर परिवहन चालान का दुरुपयोग किया गया है। खान सुरक्षा महानिदेशालय, सीतारामपुर के प्रतिनिधि द्वारा भी स्थल निरीक्षण उपरांत नियम विरुद्ध खनन कार्य करने के कारण आवेदक को क्लोजर नोटिस दिया गया है। आवेदक द्वारा वगैर खनन पट्टा नवीकृत कराये विस्फोटक का अवैध व्यवहार किया गया है। जिसके लिए आवेदक के विरुद्ध जिला प्रशासन के द्वारा भी अलग से प्राथमिकी दर्ज कराया गया है।

पुनः दिनांक 12.11.2021 आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष रखते हुए कहा गया है कि " That material is not a part of seizure in the saide " इस संदर्भ में दिनांक 30.11.21 को जिला खनन पदाधिकारी के द्वारा प्रतिवेदित है कि अवैध खनन के आधार पर प्राामिकी दर्ज की गयी है ऐसे स्थल पर अवस्थित मशीन उपकरण एवं खनिज स्वतः ही जप्ती के श्रेणी में आ जाते है। अचंल अधिकारी, तालझारी के ज्ञापांक 303/दिनांक 11.06.21 द्वारा थाना प्रभारी तालझारी को (आवेदक) प्रकाश चन्द यादव का गदवा में सील किए गए क्रशर प्लांट (तीन युनीट) सुरक्षित अभिरक्षण में दिया गया जिसपर किसी प्रकार के भंडारण एवं व्यपारिक क्रिया–कलाप नहीं करने का उल्लेख किया गया है।

पुनः आवेदक की ओर से दिनांक 14.12.21 को विभिन्न माननीय् न्यायालय के आदेश की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु दाखिल किया गया है।

उक्त बिन्दू पर दिनांक 21.12.21 को जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा लिखित जबाब दाखिल किया गया। इसमें स्थानीय व्यक्ति द्वारा आवदेक के खनन प्रतिष्ठान के विरुद्ध National Green Tribunal, Kolkata में O.A. no. 373/2019 दायर करने का उल्लेख किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने दिनांक 21.12.2021 में लिखित जबाब के कंडिका 14 एवं 15 में उल्लेखित किया गया है कि 14– The petitioner had prayed from the respondent for the permission to issue prepaidchallanto carry transport the minerals already stocked in the premises of M/s Hill Movement regarding which he has a statutory lease for an area of 20.25 acres and regarding which no allegation of illegal mining has been levelled to carry and transport the processed goods stocked at the licensed area of the processing unit. It is relevant to note here that petitioner has got Stockiest license and Dealer's license to process the minerals and stock the produce. The minerals were carried and transported from mining lease area to processing unit by issuing the prepaid transport challan for which permission was granted by the respondent after full verification and satisfaction under section 9 and 10 of the Rule. Had there been any irregularity or illegality in the mining work of petitioner, the respondent would not have granted permission to lift and transport the minerals from mining lease area to processing units. Thus, it is clear that there was no illegal mining and the permission, which was sought for from the respondent and refused by him, was sought for in regard with minerals and finished goods which were the outcome of legal mining.

15- It is further submitted that a distinction has been maintained by the Hon'ble Andhra Pradesh High Court by virtue of its judgement delivered in Novel Granites case between minerals and processed products of minerals. Their Lordships have clearly held in the aforesaid verdict that the State Government has no jurisdiction to frame the rules for regulating the processed product of minerals and finished goods. Thus, the allegation of respondent that there was automatic seizure of every material including the finished goods stands nullified in view of the aforesaid verdict. Similar view was taken by a Division Bench of the Hon'ble Jharkhand High Court In Bihar MICA Exporters Association and Ors. V/s State of Jharkhand and Ors. [WPIC) 6244 of 2007] whereIn the

आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

Hon ble Court held that:

"While upholding the validity of the Rules of 2007 underchallenge in these writ petitions, it is declared that the provisions of these Rules shall not apply to mineral products."

न्यायालय में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित एवं मौखिक जबाब के संबंध में जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा भी अपना लिखित पक्ष आवश्यक साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत किया गया है। इस मामले में सरकारी अधिवक्ता द्वारा भी सरकार/विभाग का पक्ष रखा गया। उनके द्वारा यह तर्क दिया गया की खनन टास्क फोर्स के टीम के द्वारा पटट्ेधारी को खनन कार्य करते पकड़ा गया। तब उक्त प्लोट सं0– 20, 21, 22 19पी, 23पी पर पट्टा धारित नहीं था। अतः खनन कार्य अवैध है।

इस मामले में सभी पक्षों द्वारा प्रस्तुत लिखित एवं मौखकि साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक मे0 जय बजरंग वली स्टोन प्रो0– प्रकाश चन्द्र यादव मौजा– गदवा अंचल तालझारी के तीन युनिट क्रशर मशीन एवं भंडारण स्थल संचालित था, लेकिन जिला खनन पदाधिकारी का कहना है कि आवेदक द्वारा झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 एवं Jharkhand mineral (Prevention of illegal mining) Transportation and Storage Rule 2017, The Jharkhand mineral dealer Rules- 2007 के नियम एवं शर्त्तो के विरुद्ध खनिज उत्खनन एवं भंडारण किया गया है।

आवेदक का मुख्यतः दावा है कि भंडारण स्थल पर जमा Processed materials के लिए उनके द्वारा पूर्व में Royalty भुगतान किया जा चुका है। अतः इस आधार पर उनके परिवहन चालान निर्गत करने का आदेश दिया जाय।

लेकिन मामले के समीक्षा उपरांत यह स्पष्ट नहीं है कि आवेदक द्वारा कितने मात्रा का खनिज पदार्थ के लिए Royalty भुगतान किया है तथा स्थल का भंडारित Processed materials का मात्रा इसी खनिज पत्थर का ही है, जिसका Royalty भुगतान किया है।

उपरोक्त आदेश के आलोक में एक तकनिकी टीम गठित किया गया था। जिसमें संयुक्त रुप से खनिज का मापी कर प्रतिवेदित किया गया है जिसमें भी काफी भिन्नता पाई गई है।

अतः इस मामले में जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज एवं अंचल अधिकारी, तालझारी तथा तकनिकी टीम के साथ आवेदक के तीन युनिट क्रशर –सह– भंडारण स्थल पर उपलब्ध सम्पूर्ण खनिज सामग्री तथा Processed materials के मात्रा का विधिवत सत्यापन एवं नापी करायेंगे।

Processed materials के लिए पूर्व Royalty भुगतान किया जा चुका है या नहीं एवं ये मामला किसी सिविल न्यायालय में विचाराधीन नहीं हो तब विभागीय प्रावधानों के अनुरुप संतुष्ट होकर परिवहन चालान निर्गत के बिन्दू पर पुनः विचार करते हुए अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। इस मामले में विशेष ध्यान रखेंगे किसी स्तर पर सरकारी राजस्व की क्षति नहीं हो।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यह मामला विविद वाद संख्या– 4/21 में श्री प्रकाश चन्द्र यादव द्वारा स्वंय वाद दाखिल किया गया तथा पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज द्वारा अधिहरण वाद सं0– 22/22–23 दायर किया गया। दोनो को सम्मलित कर सुनवाई की गई। सिविल न्यायालय में क्रिमनल केश के रूप में काण्ड सं0– 80/21 भी चलित है।

अतएव विपक्षी के वहस सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि यह मामला अवैध खनन से संबंधित है।

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई
2	3
अतः विपक्षी को आदेश दिया जाता है कि राजस्व हित में Processed materials को इस शर्त के साथ प्रेषण हेतु JMMC Rule 2004 के नियम 54 के तहत् Royalty के समतुल्य जुर्माना राशि जमा करने के पश्चात् भण्डारित खनिज का प्रेषण करेंगे। आवेदक द्वारा इस संबंध में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में WP(c) No-3332/2021, प्रकाश चन्द्र यादव बनाम राज्य एवं अन्य दायर किया गया है। यदि भविष्य में इस मामले में निर्णय आवेदक के पक्ष में होता है, तदनुसार उक्त जमा करायी गयी राशि आवेदक को वापस कर दिया जायेगा। लेकिन आवदेक वर्तमान में उक्त स्थल पर नया भंडारण कार्य नहीं करेंगे। साथ ही झारखण्ड लघु खनिज समुदान नियमावली 2004 के नियम 54 के उप नियम 8 के अनुरूप विपक्षी को प्रत्येक क्रेशर यूनिट का 200000 (दो लाख) रूपये दण्ड के आधार पर तीनों क्रेशर यूनिट का 600000 (छः लाख) रूपये मात्र का दण्ड निर्धारित किया जाता है। **"Before the National Green Tribunal Principal Bench, New Delhi** के **Original Application No-23/2017 (EZ)"** में दिनांक– 23.08.2022 को पारित आदेश में विपक्षी के तीनों क्रेशर यूनिट तालझारी अंचल अन्तर्गत मौजा–गदवा में अवस्थित है जो उक्त आदेश में कंडिका–7, टेबल नं0–14 एवं 15 के ग्रीड नं0–7 में अंकित है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा–निर्देश के प्रतिपालन के पश्चात ही तीनों क्रेशर मशीन संचालन की अनुमति के विषय में विचार किया जायेगा। जिला खनन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वर्णित आदेश के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। आदेश की प्रति जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज एवं विपक्षी को भेजें। **लेखापित एवं संशोधित।** उपायुक्त साहेबगंज। उपायुक्त, साहेबगंज।	25/10/22 21/10/22

Digitally signed by Hemant Sati
Date: 2024.12.19 13:41:20 +05:30
Location: 192.168.29.165